



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012021-224646
CG-DL-E-22012021-224646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942

No. 295]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 326(अ). —केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2031(अ), तारीख 28 जून, 2017 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) द्वारा प्रकाशित की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

"उक्त अनुसूची में, पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2ख पैरा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण, गुजरात के अध्यक्ष और सदस्य 27 जून, 2021 तक की अवधि के लिए या नया प्राधिकरण के गठन तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे।"

[फा. सं. जे.11013-23/2007.आईए.II(I)भाग]

सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2031(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2195(अ), तारीख 3 जुलाई, 2020 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 326(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2031(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, after paragraph 2 A, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“2 B Notwithstanding anything contained in paragraph 2 and 2A, the Chairman and Members of the Authority, Gujarat shall hold office for a term up to the 27th June, 2021 or till the constitution of new Authority, whichever is earlier.”.

[F. No. J-11013-23/2007-IA.II(I) Pt.]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2031(E), dated the 28th June, 2017 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 2195(E), dated the 3rd July, 2020.